डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथ राम*** II, ***आर.ए.एस.***

अनवान

वादीनी – **1.दुगीदेवी पत्नि भगाराम, जाति जाट**
निवासी खेड़ा, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – **1.गोरधनराम पुत्र दमाराम, जाति जाट**
निवासी खेड़ा हॉल कोनरा, तहसील चौहटन
2.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादीनी वकील – **श्री जगदीश पोटलिया**
प्रतिवादीगण वकील – **एकतरफा**

वाद बाबत 183, 188 RT Act.

मुकदमा नं. 16/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री जगदीश पोटलिया** एड. मिनजानिब मुदाई व .... एड . मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा सुन्दर नगर (कोनरा) तहसील चौहटन में खसरा सं. 1060/667 रकबा 11.07 बीघा का आया हुआ है। जिसमें रकबा 06.07 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सं. 01 द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा कर कब्जा वादीनी को सुपुर्द किया जाने का आदेश तहसीलदार चौहटन को दिया जाता है।** लगातार शेष पृष्ट पर.......................... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

बसरत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 02.09.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.............................

ओहदा ....

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:38:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 16/2020

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ।।, आर.ए.एस

वादीनी – 1.दुगीदेवी पत्नि भगाराम, जाति जाट
निवासी खेड़ा, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.गोरधनराम पुत्र दमाराम, जाति जाट
निवासी खेड़ा हॉल कोनरा, तहसील चौहटन
2.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादीनी वकील – **श्री जगदीश पोटलिया**
प्रतिवादीगण वकील – **एकतरफा**

अन्तर्गत धारा 183,188 RT Act.

सहायक कलक्टर सत्यमेव जयते चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 02.09.2022

वादीनी के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीनी का एक खेत मौजा सुन्दर नगर, तहसील चौहटन में खसरा सं. 1060/667 रकबा 11.07 बीघा का आया हुआ है। जो वादीनी द्वारा दिनांक 10.05.2019 को जरिये पंजीयन दस्तावेज क्रय किया गया। वादीनी का रहवास ग्राम खेड़ा में होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी ने उसके खेत खसरा सं. 1060/667 रकबा 11.07 बीघा में से रकबा 06.07 बीघा पर अवैध कब्जा कर लिया। प्रतिवादी ने वादीनी के उक्त वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रकबा 06.07 बीघा भूमि पर कच्ची बाड़ व घर का निर्माण कार्य कर अपना कब्जा पक्का कर दिया बाद में मेरे रिश्तेदारों ने इसकी सूचना मुझे दी तो गांव के मौजिज लोगों से पंचायती करवाई । बाद में प्रतिवादी ने अवैध कब्जा हटाने की हामी भरी तब तहसीलदार से पेमाईश करने पर का आदेश प्राप्त कर पटवारी व भू अभिलेख आलमसर से पेमाईश करवाई। जिसमें प्रतिवादी का वादीनी की भूमि पर रकबा 06.07 बीघा पर अवैध कब्जा पाया गया लेकिन अभी तक कब्जा हटाया नहीं फलतः प्रतिवादी द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण हटाकर प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वापिस वादीनी को दिलाने तथा भविष्य में ऐसी प्रवृति को दोहराने से रोकने के लिए प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु वाद श्रीमान के न्यायालय में लाने की आवश्यकता पड़ी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:38:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीनी के खेत मौजा सुन्दर नगर के खसरा सं. 1060/667 रकबा 11.07 बीघा में से रकबा 06.07 बीघा में प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वापिस वादीनी को दिलाया जावे एवं प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीनी के खातेदारी खेत में हस्तक्षेप नहीं करे एवं न ही किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण एवं निर्माण कार्य करे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी सं. 01 को जरिये रजि.एडी.सम्मन तलब किया तथा प्रतिवादी सं. 02 को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी सं. 02 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ था तथा प्रतिवादी सं. 01 का सम्मन रजि.एडी. से जारी पर्याप्त समय होने से तलबी पूर्ण मानी गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीनी साक्ष्य में PW-1 वादीनी का शपथ पत्र पेश किया गया तथा लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में EX-01 जमाबन्दी तथा EX-02 नक्शा न्यायालय में Exhibit करवाये।

पत्रावली पेश हुई। वादीनी वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । जिसके आधार स्पष्ट होता है कि वादीनी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायाहित में वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा सुन्दर नगर (कोनरा), तहसील चौहटन में खसरा सं. 1060/667 रकबा 11.07 बीघा में से रकबा 06.07 बीघा** पर प्रतिवादी सं. 01 द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाकर कब्जा पुनः वादीनी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर सत्यमेव जयते चौहटन

(भागीरथ राम II)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:38:45 IST
Reason: SelfAttested